चार्जिंग (आरोप लगाने) के तरीके

अभियोग/सूचना (इंडाइटमेन्ट/इन्फॉर्मेशन)

अभियोग; ग्रैंड जूरी द्वारा की गई एक खोज है कि संभवतः एक अपराध किया गया है और सुपीरियर कोर्ट (ऊपरी न्यायालय) में प्रतिवादी के खिलाफ आरोप लगाया जा सकता है। यह ग्रैंड जूरी; डेलावेयर नागरिकों का बनाया गया समूह है जो यह देखने के लिए साक्ष्य पर विचार करता है कि अभियोग होना चाहिए या नहीं। आमतौर पर केवल पुलिस अधिकारी ही गवाही देता है। प्रतिवादी और वकील उपस्थित नहीं होते हैं। अगर ग्रैंड जूरी अभियोग लगाने में विफल रहती हैं, तो संभावना है कि मामला आगे नहीं बढ़ेगा। यदि प्रतिवादी को दोषी ठहराया जाता है, तो आपको भविष्य की अदालती कार्यवाही के बारे में सूचित किया जाएगा। *ग्रैंड जूरी सुनवाई जनता के लिए बंद है।* **सूचना:** यदि प्रतिवादी अभियोग का अधित्याग करता है, तो सूचना दस्तावेज़ के उपयोग के माध्यम से अभियोजन पक्ष उसे आरोपित कर सकता है। विशेष रूप से केंट और ससेक्स काउंटियों में सूचना द्वारा दायर किए जाने वाले आरोपों के लिए यह असामान्य नहीं है।

जमानत की समीक्षा (बैल रिव्यू)

इस समीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि प्रतिवादी को प्रि-ट्राइल हिरासत से रिहा करने की अनुमति देने के लिए जमानत को कम किया जा सकता है या नहीं। यह सुनवाई कभी भी हो सकती है और जनता के लिए खुली है। अगर प्रतिवादी को अभियोग नहीं लगाया गया है या कोई सूचना दायर नहीं की गई है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट, म्यूनिसिपल कोर्ट या कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीस में जमानत की समीक्षा की जा सकती है। यदि प्रतिवादी को अभियोग लगाया जाता है या कोई सूचना दायर की जाती है, तो यह सुपीरियर कोर्ट में आयोजित किया जाता है।

सुनवाई (अरैनमेन्ट)

सुपीरियर कोर्ट में सुनवाई होती है। इसका उद्देश्य प्रतिवादी को आरोप सुनाना है। इस समय प्रतिवादी, दोषी या निर्दोष होने की याचिका दायर करता है। यह सुनवाई प्रतिवादी द्वारा छोड़ी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि प्रतिवादी इस सुनवाई नहीं चाहता और सीधा ही मुकदमा में हिस्सा लेगा। *यह सुनवाई जनता के लिए खुली है*

मामले की समीक्षा (केस रिव्यू)

मामले की समीक्षा, अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की एक अनौपचारिक बैठक है जो याचिका समझौते के विकल्पों पर चर्चा करने और ट्राइल के लिए तैयारियाँ निर्धारित करने के लिए होती है। यदि कोई याचिका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो प्रतिवादी को आधिकारिक तौर पर अदालत में याचिका लेने के लिए एक न्यायाधीश के सामने लाया जाता है। मामले की समीक्षा जनता के लिए खुली नहीं है, हालांकि, प्रतिवादी द्वारा अदालत में एक याचिका दर्ज की जा सकती है, आपको उपस्थित रहने के बारे में अभियोजक से बात करनी चाहिए।

ट्रायल (मुक़दमा)

सुपीरियर कोर्ट में गंभीर मामलों (फेलनी ट्राइल्स) की सुनवाई होती है। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि प्रतिवादी दोषी है या नहीं। यदि कोई निरंतरता नहीं दी जाती है तो अभियोग लगाने या सूचना दायर करने के 70 दिनों के बाद एक ट्राइल आमतौर पर निर्धारित की जाती है। हालाँकि, वर्तमान अदालती बैकलॉग के कारण, कई मामलो को सुनवाई में आने में एक वर्ष से अधिक का समय लग जाता है। यदि गवाह के रूप में बुलाया जाए तो आपको गवाही देनी होगी। मुकदमे की तारीख से पहले अभियोजक के साथ जाँच करें। अधिकांश फेलनी मुकदमे जूरी के समक्ष होते हैं। हालाँकि, कुछ को केवल एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में ट्रायल किया जाता है। एक आपराधिक मुकदमे में जूरी: प्रतिवादी को दोषी, कम आरोप का दोषी, या दोषी नहीं पा सकती है। यदि जूरी एक सर्वसम्मत निर्णय तक पहुँचने में विफल रहती हैं तो एक मिसट्राइल घोषित किया जा सकता है। मुकदमे के दौरान, न्यायाधीश आरोपों को खारिज कर सकते हैं या विभिन्न आधारों पर मिसट्राइल घोषित कर सकते हैं। आमतौर पर इसका संबंध सबूत की समस्याओं या अदालती प्रक्रिया के नियमों से होता है। अभियोजक आपको बताएगा कि यदि बर्खास्तगी/मिसट्राइल हुई तो क्या होगा। *सुपीरियर कोर्ट के मुकदमे जनता के लिए खुले हैं।*